संख्या— /XXIV–4/2017–5(47)/2017

प्रेषक,

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 **देहरादून दिनांकः 27 नवम्बर, 2017**

विषय–मान्यता समिति द्वारा संस्तुत तथा परिषद स्तर से गठित स्थलीय सत्यापन टीमों द्वारा मान्यता के लिए उपयुक्त पाये गये प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–मान्यता/716–17/ 2017–18 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा अधिनियम–2006 की धारा–11(क) के अधीन सभापति/सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की आख्या/संस्तुति के आधार पर तालिका में अंकित विद्यालय को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद् द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

विद्यालय का नाम	मान्यता का प्रकार	मान्यता वर्ष
1	2	3
बासुदेव लाल मैथिल सरस्वती विद्या मंदिर, हरिद्वार रोड़, ब्रहमपुर, रुड़की, जनपद–हरिद्वार।	इण्टर नवीन विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग की वित्तविहीन मान्यता।	परीक्षा वर्ष, 2019

2. उक्त मान्यता के सिलसिले में सम्बन्धित विद्यालय में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तो की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारी को उन शर्तो/प्रतिबन्धों की पूर्ति के निर्देश दे दिये जाय।

3. संस्था को प्रस्तर–1 के स्तम्भ–2 के अनुसार इण्टर नवीन विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग की वित्तविहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा **भविष्य में अनुदान के लिए मॉग नहीं की जायेगी।**

4. कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक/अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाय।

भवदीय,

(महिमा)
उप सचिव।

संख्या—1727 (1)/XXIV—4/2017—5(47)/2017 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद—हरिद्वार।
4. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।